रजि. सं॰-डी॰एल॰-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 239] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 1997/अग्रहायण 26, 1919
No. 239] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 1997/AGRAHAYANA 26, 1919

कल्याण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1997

सं. 12011/13/97-बी.सी.सी.—भारत सरकार, ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्थापना (एस सी टी) के द्वारा केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों तथा सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिए पदों को भरने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% रिक्तियां आरक्षित की हैं । इस संबंध में 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में समान सूचियां कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के संकल्प सं. 12011/68/93-बी.सी.सी. (सी), 19 अक्तूबर, 1994 के सं. 12011/9/94-बी.सी.सी. तथा 24 मई, 1995 के सं. 12011/7/95-बी.सी.सी., 9 मार्च, 1996 के सं. 12011/9/94-बी.सी.सी. तथा 6 दिसम्बर, 1996 के सं. 12011/44/96-बी.सी.सी. के द्वारा अधिसूचित कर दी गई हैं ।

2. अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने तथा कम शामिल करने के अनुरोध पर विचार करने, जांच करने तथा सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के उपबंध के तहत किया गया था ।

3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अब उत्तर प्रदेश के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने/संशोधन करने के लिए जातियों/समुदायों (उप जातियों/पर्यायों सहित) के नामों की सिफारिश की है ।

सरकार ने आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा पूर्वोक्त राज्य के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संलग्न के अनुसार शामिल करने/संशोधन को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है । यह शामिल करना/संशोधन इस संकल्प की जारी करने की तारीख से प्रभावी होगा ।

डॉ एम.एस. अहमद, संयुक्त सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को भेजा जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अनुबन्ध

उत्तर प्रदेश के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करना/संशोधन

राज्य उत्तर प्रदेश : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप जातियों/पर्यायों सहित) के नाम

क्र सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	शून्य	56 मेवाती, मेव
2.	शून्य	57 सक्का-भिश्ती, भिश्ती-अब्बासी
3.	शून्य	58 कोष्टा/कोष्टी

MINISTRY OF WELFARE

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd December, 1997.

No. 12011/13/97-BCC.—The Government of India, vide the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel and Training) O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT), dated the 8th September, 1993, have reserved 27% of vacancies in Civil posts and services under the Central Government, to be filled through direct recruitment, in favour of the other Backward Classes (OBCs). In this regard the common lists in respect of 25 States/UTs have been notified vide Ministry of Welfare Resolutions No. 12011/68/93-BCC (C) dated the 10th September, 1993, No. 12011/9/94-BCC dated the 19th October, 1994, No. 12011/7/95-BCC dated the 24th May, 1995, No. 12011/96/94-BCC dated the 9th March, 1996 and No. 12011/44/96-BCC dated 6th Dec., 1996.

2. The National Commission for Backward Classes was set up under the provision of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 to entertain, examine and recommend upon the requests for inclusion and under-inclusion in the Central list of Other Backward Classes.

3. The National Commission for Backward Classes have now recommended names of castes/communities (including sub-castes/synonyms) for inclusion/amendment in the Central Lists of OBCs in respect of the Uttar Pradesh.

The Government have accepted the recommendations of the Commission and have decided to notify annexed inclusions/amendments in the Central Lists of OBCs in respect of aforesaid State. These inclusions/amendments shall take effect from the date of issue of this Resolution.

Dr. M.S. AHMAD, Jt. Secy.

ORDER

Order that a copy of this resolution be communicated to all State Govts., Union Territory Administrations, Ministries/Deptt. of the Government of India.

Order also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ANNEXURE

Inclusion/Amendment in the Central List of Other Backward Classes (OBCs) in respect of Uttar Pradesh

STATE : UTTAR PRADESH : CENTRAL LIST OF OBCs

Name of Castes/Communities (including sub-castes/synonyms) in the Central List of OBCs.

S. No.	Old entry	New entry
1.	NIL	56. MEWATI, MEO
2.	NIL	57. SAQQA-BHISTI, BHISTI-ABBASSI
3.	NIL	58. KOSHTA/KOSHTI

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997.